1 आपराधिक प्रकरण कमांक 1096/2012

न्यायालय— प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश प्रकरण कमांक 1096 / 2012 संस्थापित दिनांक 31 / 12 / 2012

> मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र— गोहद, जिला भिण्ड म०प्र0

> > अभियोजन

बनाम

भागचन्द पुत्र लालाराम माहौर उम्र 25 वर्ष निवासी संतोष नगर वार्ड नं0 5 गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0।

..... अभियुक्त

(अपराध अंतर्गत धारा— 304ए भा.दं.सं एवं मो० अधि. की धारा 3/181 एवं 146/196) (राज्य द्वारा एडीपीओ— श्रीमती हेमलता आर्य) (आरोपी द्वारा अधिवक्ता— श्री राजीव शुक्ला)

> ::<u>- नि र्ण य --:</u> (आज दिनांक 14.12.17 को घोषित किया)

आरोपी पर दिनांक 24.12.12 को समय 8:00 बजे ग्राम कठवा हाजी मोड के पास रोड पर लोकमार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन मोटरसाइकिल क. एम—पी 30 एम—सी 2372 को बिना बीमा एवं ड्राइविंग लाइसेंस के उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाते हुए मृतक मनोज बघेल को टक्कर मारकर उसकी आपराधिक मानववध की श्रेणी में न आने वाली मृत्यु कारित करने हेतु भा.दं.सं. की धारा 304ए एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181 एवं 146/196 के अंतर्गत अपराध विवरण निर्मित किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 24.12.12 को ग्राम चकबरथरा के ग्राम कोटवार को सुबह करीबन 8 बजे सूचना मिली थी कि कठवा हाजी ग्राम के मोड के पास एक व्यक्ति को कोई अज्ञात वाहन टक्कर मारकर भाग गया था जो आम रोड पर पड़ा है उसने जाकर देखा था तो कठवा हाजी मोड के पास एक लड़के की लाश पड़ी थी तथा उसके पास डिसकवर मोटरसाइकिल भी पड़ी थी। उक्त लड़के को कोई अज्ञात वाहन टक्कर मारकर भाग गया था। फरियादी छोटेलाल की सूचना पर पुलिस थाना गोहद में मर्ग क0 45/12 लेखबद्ध की गई थी एवं उक्त प्रकरण की जांच की गई थी जांच के दौरान मृतक की पहचान मनोज पुत्र लज्जाराम के रूप में हुई थी। जांच के दौरान चश्मदीद साक्षी रामगोविन्द ने यह बताया था कि दिनांक 24.12.12 को मनोज मोटरसाइकिल से गोहद जा रहा था तो सामने से प्लेटिना मोटरसाइकिल क0 एम—पी 30 एम—सी 2372 के चालक भागचन्द ने तेजी व लापरवाही से मोटरसाइकिल चलाकर मनोज के टक्कर मार दी थी जिससे मनोज मौके पर खत्म हो गया था। जांच पश्चात आरोपी के विरूद्ध अपराध सिद्ध पाए जाने पर आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना गोहद में अपराध कमांक 292/12 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया था। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे। आरोपी को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

- 3. उक्त अनुसार मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध विवरण निर्मित किया गया। आरोपी को अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनाई व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया।
- 4. दं.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुए हैं :--

- 1. क्या आरोपी ने दिनांक 24.12.12 को समय 8:00 बजे ग्राम कठवा हाजी मोड के पास रोड पर लोकमार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन मोटरसाइकिल क. एम—पी 30 एम—सी 2372 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाते हुए मृतक मनोज बघेल में टक्कर मारकर उसकी आपराधिक मानववध की श्रेणी में न आने वाली मृत्यु कारित की?
- 2. क्या आरोपी के पास घटना दिनांक समय व स्थान पर मोटरसाइकिल क. एम—पी 30 एम—सी 2372 को चलाने का बीमा एवं ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था?
- 6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से छोटेलाल मिर्धा अ०सा०1, रामगोविन्द अ०सा०2, कमलेश अ०सा०3, महेश अ०सा०4, गौतम अ०सा० 5, रमेश चन्द्र शुक्ला अ०सा०6, सेवानिवृत्त वाहन चालक रामकरन शर्मा अ०सा०7, सेवानिवृत्त सहायक उपनिरीक्षक रमेश कुशवाह अ०सा०8, राजवीर अ०सा०9, ए०एस०आई० राजकुमार कोरकू अ०सा०10 एवं डॉ० आलोक शर्मा अ०सा०11 को परीक्षित कराया गया है, जबिक आरोपी की ओर से बचाव में साक्षी पप्पूनिम उर्फ बृजमोहन वा०सा०1 को परीक्षित कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

- 7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी छोटेलाल मिर्धा अ0सा01 जिसके द्वारा प्र0पी01 की मर्ग रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई थी, ने न्यायायल के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह कोटवार का काम करता है। उसे घटना के बारे में जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधीघोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि उसे ध्यान नहीं है कि कठवा हाजी मोड के पास एक व्यक्ति की लाश पड़ी थी जिसकी सूचना उसने थाने पर दी थी या नहीं। उक्त साक्षी ने रिपोर्ट प्र0पी01 के ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। प्रतिपरीक्षण के पद क03 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि प्र0पी01 की लिखापढ़ी उसके सामने नहीं हुई थी।
- साक्षी रामगोविन्द अ०सा०२ ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह आरोपी भागचन्द को जानता है। घटना 24 तारीख की सन् 2012 के सुबह 8 बजे की है। मनोज पेपर देने के लिए गोहद आ रहा था वह मनोज के पीछे मोटरसाइकिल से गोहद आ रहा था मोटरसाइकिल पर उसके अलावा गौतम और महेश भी थे। मनोज मोटरसाइकिल से उसके आगे—आगे चल रहा था। जैसे ही मनोज कठवा मोड पर पहुंचा था तो सामने से भागचंद मोटरसाइकिल उल्टे हाथ पर लहराती हुई चलाते हुए लाया था और उसने मनोज की गाडी में टक्कर मार दी थी। गाडी बहुत स्पीड में थी। टक्कर लगने से मनोज के माथे पर चोट आई थी। वह पढ़ालिखा नहीं है इसलिए गाडी का नंबर नहीं बता सकता है। उसके भतीजे गौतम ने गाडी का नंबर लिखवाया है। भागचंद की मोटरसाइकिल प्लेटिना मोटरसाइकिल थी। पुलिस ने उसके सामने नक्शा पंचायतनामा लाश बनाया था। प्रतिपरीक्षण के पद क02 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि घटनास्थल कठवा मोड का है एवं यह भी स्वीकार किया है कि वहां खड़े लागों ने बताया था कि उसका नाम भागचंद

है एवं यह भी व्यक्त किया है कि उसने मौके पर भागचंद को पकड लिया था उसने अपना नाम भागचंद बताया था। पद क04 में उक्त साक्षी का कहना है कि थाने पर रिपोर्ट करने के लिए वह, गौतम और महेश गए थे मनोज को वह पुलिस की गाड़ी में लेकर गए थे। टक्कर के समय उसकी गाड़ी पीछे ही लगी थी। वह लोग आरोपी को चार मनिट तक पकड़े रहे थे उसके बाद वह मनोज को देखने लगे थे। इतने में वह भाग गया था वह आज भागचंद को नहीं पहचान सकता है क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं। पद क05 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि गौतम घटना दिनांक को उसके साथ था एवं महेश भी साथ में था। कमलेश साथ में नहीं था तथा यह भी स्वीकार किया है कि गाड़ी का नंबर व नाम उसे गौतम ने बताया था।

- 9. साक्षी महेश अ०सा०४ ने भी रामगोविन्द अ०सा०२ के कथन का समर्थन किया है एवं भागचंद द्वारा मोटरसाइकिल से मनोज को टक्कर मार देने बावत् प्रकटीकरण किया है।
- 10. गौतम अ०सा०५ द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि वह आरोपी भागचंद को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग चार साल पहले की है। वह तथा महेश रामगोविन्द की मोटरसाइकिल पर बैठकर गोहद आ रहे थे। रामगोविन्द मोटरसाइकिल चला रहा था। मनोज दूसरी मोटरसाइकिल से उसके आगे जा रहा था। भागचंद मोटरसाइकिल से आया था तथा दूसरी तरफ से उसने मनोज की मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी थी। भागचंद मोटरसाइकिल को तेजी से भगाते हुए आ रहा था। मोटरसाइकिल का नंबर एम—सी 2372 था। मनोज की एक्सीडेंट में आई चोट से मृत्यु हो गई थी। प्रतिपरीक्षण के पद क02 में उसने व्यक्त किया है कि वह हाजिर अदालत आरोपी को नहीं जानता है। हाजिर अदालत आरोपी के द्वारा घटना के समय एक्सीडेंट नहीं किया गया था। वह घटना के समय मौजूद नहीं था। वह घटना के समय अपने गांव में था उसके सामने कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था।
- 11. साक्षी कमलेश अ०सा०३ ने सफीना फॉर्म प्र०पी०२ एवं नक्शा लाश पंचायतनामा प्र०पी०३ के कमशः ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। रमेशचंद्र शुक्ला अ०सा०६ ने घटना की जानकारी न होना बताया है तथा यह भी व्यक्त किया है कि जप्ती पंचनामा प्र०पी०४ पुलिस ने उसके सामने नहीं बनाया था एवं प्र०पी०४ के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर नहीं है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि पुलिस ने उसके सामने जप्ती पंचनामा प्र०पी०४ बनाया था।
- 12. साक्षी राजवीर अ०सा०१ ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह आरोपी भागचंद को जानता है। प्लेटिना मोटरसाइकिल क० एम—पी ३० एम—सी २३७२ का वह पंजीकृत स्वामी है। भागचंद उसका दोस्त है। आरोपी दिनांक २४.१२.१२ को उसके घर पर आया था एवं उससे अपनी रिश्तेदारी में जाने के लिए मोटरसाइकिल ले गया था उसे दूसरे दिन दिनांक २५.१२.१२ को पता चला था कि भागचंद ने उसकी मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट कर दिया है जिसमें एक लडका खत्म हो गया है जिसकी सूचना उसे मृतक के ससुराल वालों ने गोहद आकर दी थी। उसने दिनांक २४.१२.१२ को अपनी मोटरसाइकिल भागचंद को दे दी थी। उसी ने एक्सीडेंट किया था उक्त प्रमाणीकरण प्र०पी०६ है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के पद क०२ में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि प्र०पी०६ का प्रमाणीकरण पुलिस ने उससे पूछ कर लिखा था एवं प्रमाणीकरण लिखने के बाद उसने उस पर हस्ताक्षर किए थे। प्र०पी०६ का प्रमाणीकरण दिनांक २५.१२.१२ को लिखा गया था।
- 13. डॉ० आलोक शर्मा अ०सा०११ द्वारा मृतक मनोज की शव परीक्षण रिपोर्ट प्र०पी०११ को प्रमाणित किया गया है। सेवानिवृत्त सहायक उपनिरीक्षण रमेश कुशवाह अ०सा०८ ने प्र०पी०१ की मर्ग इंटीमेशन को प्रमाणित किया है। सेवानिवृत्त वाहन चालक रामकरन शर्मा अ०सा०७ ने आरोपित मोटरसाइकिल क० एम—पी ३० एम—सी २३७२ की मैकेनिकल जांच रिपोर्ट प्र०पी०५ को प्रमाणित किया है तथा ए०एस०आई राजकुमार कोरकू अ०सा०१० ने प्र०पी०७ की प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रमाणित किया है एवं विवेचना को प्रमाणित किया है।

- 14. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभाषी रहे हैं। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।
- 15. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि आरोपी भागचंद द्वारा कोई एक्सीडेंट नहीं किया गया था उक्त संबंध में आरोपी की ओर से साक्षी पप्पूनिम उर्फ बृजमोहन वा0सा01 को परीक्षित कराया गया है। उक्त साक्षी ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह आरोपी भागचंद को जानता है वह उसके साथ बेलदारी करता है। घटना दिनांक 24.12.12 को आरोपी उसके साथ बेलदारी कर रहा था। आरोपी भागचंद ने कोई भी एक्सीडेंट नहीं किया है क्योंकि वह उसके साथ बेलदारी कर रहा था पुलिस वालों ने उसे झूटा फंसा दिया है। प्रतिपरीक्षण के पद क02 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि वह लोग शिन्दे की छावनी पर बेलदारी कर रहे थे किसके यहां कर रहे थे उसका नाम उसे नहीं मालूम है। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उक्त बात उसने न्यायालय में पहली बार बताई है।
- 16. सर्वप्रथम न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या घटना दिनांक को मनोज बघेल की मृत्यु हुई थी ? उक्त संबंध में डाँ० आलोक शर्मा आ०सा०११ ने डाँ० राजेन्द्र तरेटिया की शव परीक्षण रिपोर्ट प्र०पी०११ को प्रमाणित करते हुए न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया हैकि वह दिनांक 24.12.12 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में पदस्थ थे उनके साथ डाँ० राजेन्द्र तरेटिया भी पदस्थ थे वह डाँ० तरेटिया की हस्तलेख पहचानते हैं। दिनांक 24.12.12 को थाना गोहद के आरक्षक राममोहन द्वारा लाए जाने पर डाँ० राजेन्द्र तरेटिया ने मृतक मनोज का शव परीक्षण किया था तथा उक्त चिकित्सकीय रिपोर्ट के अनुसार मृतक की मृत्यु सिर में आई चोट से हुई थी जो कि शव परीक्षण के तीन घण्टे के अंदर हुई थी। चिकित्सकीय रिपोर्ट प्र०पी०११ के ए से ए भाग पर डाँ० तरेटिया के हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कथन मृतक मनोज की मृत्यु होने के बिंदु पर अखण्डनीय रहा है।
- 17. साक्षी रामगोविन्द अ०सा०२ ने भी दिनांक 24.12.12 को मनोज की मृत्यु होना बताया है साक्षी महेश अ०सा०४ एवं गौतम अ०सा०५ ने भी मनोज की मृत्यु होने बावत् कथन किया है। उक्त सभी साक्षीगण के कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान मनोज की मृत्यु होने के बिंदु पर अखंडनीय रहे हैं। प्र०पी०७७ की प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी मनोज की मृत्यु दिनांक 24.12.12 को होना उल्लेख है। बचाव पक्ष की ओर से उक्त तथ्यों के खंडन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में उक्त बिंदु पर आई साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि घटना दिनांक 24.12.12 को मनोज की मृत्यु हुई थी।
- 18. अब न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या मृतक मनोज की मृत्यु वाहन दुर्घटना में कारित हुई थी? उक्त संबंध में साक्षी रामगोविन्द अ०सा०२ ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना वाले दिन मनोज पेपर देने के लिए मोटरसाइकिल से गोहद जा रहा था तो कठवा मोड पर सामने से भागचंद ने मोटरसाइकिल से मनोज की गाड़ी में टक्कर मार दी थी जिससे मनोज के माथे पर चोट आई थी। साक्षी महेश अ०सा०४, गौतम अ०सा०५ ने भी मनोज की एक्सीडेंट में मृत्यु होना बताया है। उक्त सभी साक्षीगण का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त सभी साक्षीगण का कथन मनोज की मृत्यु वाहन दुर्घटना में होने के बिंदु पर अखंडनीय रहा है। प्र०पी०1 की मर्ग इंटीमेशन एवं प्र०पी०7 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी मृतक मनोज की मृत्यु वाहन दुर्घटना में होने का उल्लेख है। आरोपी की ओर से उक्त तथ्यों के खंडन में भी कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई हैं। ऐसी स्थिति में उक्त बिंदु पर आई साक्ष्य से यह भी प्रमाणित है कि मृतक मनोज की मृत्यु वाहन दुर्घटना में आई चोटों के परिणामस्वरूप हुई थी।

- 19. अब मुख्य विचारणीय प्रश्न यह हैिक क्या उक्त वाहन दुर्घटना आरोपी भागचंद द्वारा आरोपित मोटरसाइिकल क् 0 एमपी 30 एमसी 2372 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाते हुये कारित की गई थी? उक्त संबंध में साक्षी रामगोविन्द अ0सा02 जो कि अभियोजन कहानी के अनुसार घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, ने नयायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह आरोपी भागचंद को जानता है। घटना वाले दिन सुबह आठ बजे मनोज पेपर देने के लिए मोटरसाइिकल से गोहद जा रहा था वह, गौतम और महेश भी मोटरसाइिकल से मनोज के पीछे जा रहे थे जैसे ही मनोज कठवा मोड पर पहुंचा था तो सामने से भागचंद मोटरसाइिकल को लहराता हुआ चलाकर लाया था और उसने मनोज की गाडी में टक्कर मार दी थी। वह पढािलखा नहीं है इसिलए गाडी का नंबर नहीं बता सकता है। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने मोक पर भागचंद का नाम वहां खडे लोगों ने बताया था परंतु उक्त साक्षी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि उसने मौक पर भागचंद को पकड लिया था वह लोग आरोपी को चार मिनिट तक पकडे रहे थे इसके बाद वह मनोज को देखने लगे थे तो इतने में आरोपी भाग गया था। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि बहुत दिन हो जाने के कारण वह भागचंद को नहीं पहचान सकता है।
- 20. इस प्रकार रामगोविन्द अ०सा०२ ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि आरोपी भागचंद ने मोटरसाइकिल को लहराकर चलाते हुए मनोज की गाड़ी में टक्कर मार दी थी जिससे मनोज के चोटें आई थीं। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी व्यक्त किया है कि उसने मौके पर भागचंद को पकड़ लिया था एवं वह उसे चार मिनिट तक पकड़े रहे थे फिर वह मनोज को देखने लगे थे इतने में ही भागचंद भाग गया था। यद्यपि उक्त साक्षी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि काफी समय हो जाने के कारण वह आज भागचंद को नहीं पहचान सकता है परंतु यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त साक्षी ने अपने मुख्यपरीक्षण में स्प्ट रूप से यह बताया है कि वह आरोपी भागचंद को जानता है तथा परीक्षण के दौरान यह भी व्यक्त किया है कि उसने मौके पर भागचंद को पकड़ लिया था तथा वह चार मिनिट तक उसे पकड़े रहा था। साक्षी रामगोविन्द अ०सा०२ ने अपने कथन में आरोपी भागचंद द्वारा मोटरसाइकिल से मनोज की मोटरसाइकिल में टक्कर मार देना बताया है। उक्त साक्षी का यह कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान तुच्छ विसंगतियों को छोड़कर तात्विक विरोधाभाषों से पर रहा है। अतः उक्त साक्षी के उक्त कथन से यह स्पष्ट है कि साक्षी रामगोविन्द अ०सा०२ ने आरोपी भागचंद को मौके पर दुर्घटना कारित करते हुए देखा था।
- 21. साक्षी महेश अ०सा०४ ने भी अपने कथन में यह व्यक्त किया है कि घटना वाले दिन मनोज मोटरसाइकिल से पेपर देने गोहद आ रहा था वह भी उसके पीछे मोटरसाइकिल से आ रहा था तो बरथरा के पहले भागचंद ने अपनी मोटरसाइकिल को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए मनोज के टक्कर मार दी थी उसने मोटरसाइकिल का नंबर नोट नहीं किया था क्योंकि वह पढ़ालिखा नहीं है उसके साथ में रामगोविन्द और गौतम थे जिन्होने नंबर नोट किया था उसने टक्कर देने वाली मोटरसाइकिल वाले से उसका नाम पता पूछा था तो उसने अपना नाम भागचंद बताया था। प्रतिपरीक्षण के पद क02 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि वह भागचंद को पहले से नहीं जानता था वह आरोपी को घटना वाले दिन से ही जानता है। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि वह मौके पर मनोज को संभालते रहे थे इतने में ही वह भाग गया था। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि पुलिस ने ही उसे आरोपी का नाम बता दिया था। इस प्रकार महेश अ०सा०४ ने भी अपने कथन में स्प्य्ट रूप से यह बताया है कि वह आरोपी भागचंद को जानता है तथा भागचंद ने ही मोटरसाइकिल को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए मनोज के टक्कर मारी थी। उक्त साक्षी का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है पंरतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कथन आरोपी द्वारा वाहन दुर्घटना कारित किए जाने के बिंदु पर तात्विक विरोधाभाषों से परे रहा है।
- 22. साक्षी राजवीर अ०सा०९ जो कि आरोपित मोटरसाइकिल क0 एमपी—30 एमसी—2372 का पंजीकृत स्वामी है, ने भी अपने कथन में यह बताया है कि घटना वाले दिन आरोपी भागचंद रिश्तेदारी में जाने के लिए उसकी मोटरसाइकिल क0 एमपी—30 एमसी—2372 को मांगकर ले गया था तथा उसे दिनांक 25.12.12 को पता चला था कि भागचंद ने उसकी मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट कर दिया है। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त

किया है कि प्र0पी06 के प्रमाणीकरण के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि प्र0पी06 का प्रमाणीकरण पुलिस ने उससे पूछ कर लिखा था तथा प्र0पी06 का प्रमाणीकरण लिखने के बाद उसने उस पर हस्ताक्षर किए थे। इस प्रकार साक्षी राजवीर अ0सा09 ने भी अपने कथन में यह बताया है कि वह आरोपित मोटरसाइकिल क0 एमपी—30 एमसी—2372 का स्वामी है एवं घटना वाले दिन उक्त मोटरसाइकिल को आरोपी भागचंद मांगकर ले गया था उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसने प्र0पी06 का प्रमाणीकरण पुलिस को दिया था। उक्त साक्षी का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है पंरतु प्रतिपरीक्षण के दौरान भी उक्त साक्षी का कथन तात्विक विरोधाभाषों से परे रहा है। अतः साक्षी राजवीर अ0सा09 के कथनों से भी यह प्रमाणित है कि घटना वाले दिन आरोपी भागचंद मोटरसाइकिल क0 एमपी—30 एमसी—2372 को चला रहा था।

- साक्षी गौतम अ०सा०५ ने अपने मुख्य परीक्षण में आरोपी भागचंद द्वारा अपनी मोटरसाइकिल से मनोज की मोटरसाइकिल में टक्कर मार देना एवं टक्कर लगने से मनोज की मृत्यू होना बताया है परंत् प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि वह हाजिर अदालत आरोपी को नहीं जानता है वह घटना के समय मौजूद नहीं था एवं हाजिर अदालत आरोपी द्वारा घटना के समय एक्सीडेंट नहीं किया गया था। इस प्रकार गौतम अ०सा०५ के कथनों से यह दर्शित है कि उक्त साक्षी के कथन अपने परीक्षण के दौरान अत्यंत विरोधाभाषी रहे है। गौतम अ०सा०५ ने यह भी व्यक्त किया है कि वह घटना के समय मौजूद नहीं था। अतः उक्त साक्षी के कथनों से अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है। साक्षी रमेश चंद्र शुक्ला अ0सा06 ने भी अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है तथा आरोपी के विरूद्ध कोई कथन नहीं दिया है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर भी उक्त साक्षी ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहींदिया है। साक्षी छोटेलाल मिर्धा अ०सा०। जिसके द्वारा प्र०पी०। की मर्ग रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई थी, ने भी न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं घटना के बारे में कोई जानकारी न होना बताया है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उक्त साक्षी द्वारायह व्यक्त किया गया है कि उसे ध्यान नहीं है कि कठवा हाजी मोड के पास एक व्यक्ति की लाश पड़ी थी जिसकी सूचना उसने थाने पर दी थी या नहीं। उक्त साक्षी ने मात्र मर्ग रिपोर्ट प्र0पी01 के ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है।
- 24. प्रकरण में यद्यपि छोटेलाल मिर्धा अ०सा०1, गौतम अ०सा०5 एवं रमेश चंद्र शुक्ला अ०सा०6 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपी के विरूद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है पंरतु यहां यह भी उल्लेखनीय है कि छोटलाल मिर्धा अ०सा०1 एवं रमेश चंद्र शुक्ला अ०सा०6 घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं हैं। साक्षी गौतम अ०सा०5 जो अभियोजन कहानी के अनुसार घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी था, ने यद्यपि न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं घटना के समय मौजूद न होना बताया है पंरतु यहां यह भी उल्लेखनीय है कि साक्षी रामगोविन्द अ०सा०2 एवं महेश अ०सा०4 ने अपने कथन में सपष्ट रूप से यह बताया है कि आरोपी भागचंद ने अपनी मोटरसाइकिल को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए मनोज की मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी थी जिससे मनोज के चोटें आ गई थी एवं मनोज की मृत्यु हो गई थी। उक्त दोनों ही साक्षीगण का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है पंरतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त दोनों ही साक्षियों का कथन तुच्छ विसंगतियों को छोडकर तात्विक विरोधाभाषों से परे रहा है। ऐसी स्थिति में मात्र इस आधार पर कि साक्षी छोटेलाल मिर्धा अ०सा०1, गौतम अ०सा०5 एवं रमेश चंद्र शुक्ला अ०सा०6 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है साक्षी रामगोविन्द अ०सा०2 एवं महेश अ०सा०4 के कथनों की विश्वसनीयता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है।
- 25. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान यह भी व्यक्त किया गया है कि प्रकरण में साक्षी रामगोविन्द अ0सा02 एवं महेश अ0सा04 द्वारा दुर्घटना कारित करने वाली मोटरसाइकिल का नंबर नहीं बताया गया है यह तथ्य अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है परंतु बचाव पक्ष अधिवक्ता का यह तर्क स्वीकार

योग्य नहीं है यद्यपि साक्षी रामगोविन्द अ०सा०२ एवं महेश अ०सा०४ द्वारा दुर्घटना कारित करने वाली मोटरसाइकिल का नंबर नहीं बताया गया है परंतु यहां यह भी उल्लेखनीय है कि साक्षी रामगोविन्द अ०सा०२ एवं महेश अ०सा०४ ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि घटना दिनांक को आरोपी भागचंद ने मोटरसाइकिल को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए मनोज के टक्कर मार दी थी चूंकि साक्षी रामगोविन्द अ०सा०२ एवं महेश अ०सा०४ ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से आरोपी द्वारा वाहन दुर्घटना कारित करना बताया है। ऐसी स्थिति में मात्र आरोपित मोटरसाइकिल का नंबर न बताने के कारण उक्त साक्षीगण के कथनों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि साक्षी राजवीर अ०सा०९ ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि घटना दिनांक २४.१२.१२ को आरोपी भागचंद उसकी मोटरसाइकिल क० एमपी—30 एमसी—2372 को मांगकर ले गया था। साक्षी राजवीर अ०सा०९ के कथनों से यह स्पष्ट है कि घटना वाले दिन आरेपी भागचंद मोटरसाइकिल क० एमपी—30 एमसी—2372 को चला रहा था एवं साक्षी रामगोविन्द अ०सा०२ एवं महेश अ०सा०४ के कथनों से यह भी प्रमाणित है कि आरोपी भागचंद ने मोटरसाइकिल से मनोज को टक्कर मार दी थी।

- 26. साक्षी रामकरन शर्मा अ०सा०७ जिसके द्वारा आरोपित मोटरसाइकिल क० एमपी—30 एमसी—2372 की मैकेनिकल जांच की गई है, ने भी अपने कथन में यह बताया है कि जांच के दौरान मोटरसाइकिल के सामने की हैडलाइट, इंडिकेटर लाइट टूटी हुई थी एवं मडगार्ड तथा लेगगार्ड टूटा हुआ था। उक्त साक्षी का यह कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान अखंडनीय रहा है। आरोपी की ओर से यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उक्त मोटरसाइकिल में किस प्रकार टूट फूट हुई थी। ऐसी स्थिति में प्र0पी05 की मैकेनिकल जांच रिपोर्ट से भी अभियोजन कहानी की ही पुष्टी होती है।
- 27. जहां तक बचाव साक्षी पप्पूनिम उर्फ बृजमोहन वा0सा01 के कथन का प्रश्न है तो यह उल्लेखनीय है कि पप्पूनिम उर्फ बृजमोहन वा0सा01 ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह बताया है कि घटना वाले दिन आरोपी भागचंद उसके साथ बेलदारी कर रहा था एवं उसने कोई एक्सीडेंट नहीं किया था परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि वह किसके यहां बेलदारी कर रहे थे उसका नाम उसे नहीं मालूम है। साक्षी पप्पूनिम वा0सा01 ने अपने कथन में यह बताया है कि घटना दिनांक 24.12.12 को आरोपी भागचंद उसके साथ बेलदारी कर रहा था परंतु उक्त साक्षी द्वारा यह नहीं बताया गया है कि आरोपी घटना वाले दिन किस व्यक्ति के यहां बेलदारी कर रहा था और ना ही उस व्यक्ति को आरोपी द्वारा परीक्षित कराया गया है। ऐसी स्थिति में साक्षी पप्पूनिम वा0सा01 के कथनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है एवं उक्त साक्षी के कथनों से अभियोजन घटना की विश्वसनीयता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है।
- 28. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान यह भी व्यक्त किया गया है कि फरियादी द्वारा आरोपी को मिथ्या अपराध में संलिप्त किया गया है परंतु आरोपी की ओर से उक्त तर्क के समर्थन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। बचाव पक्ष की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह दर्शित होता हो कि आरोपी को मिथ्या प्रकरण में संलिप्त किया गया है। ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष अधिवक्ता का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है एवं उक्त तर्क से बचाव पक्ष को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।
- 29. इस प्रकार साक्षी रामगोविन्द अ०सा०२ एवं महेश अ०सा०४ ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि घटना दिनांक को आरोपी भागचंद ने अपनी मोटरसाइकिल को तेजी एवं लापरवाही से चलाते हुये मनोज की मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी थी जिससे मनोज की मृत्यु हो गई थी। साक्षी राजवीर अ०सा०९ जो कि आरोपित मोटरसाइकिल क० एमपी ३० एमसी २३७७ का पंजीकृत स्वामी है, ने भी अपने कथन में यह बताया है कि घटना दिनांक २४.१२.१२ को आरोपी भागचंद आरोपित मोटरसाइकिल को मांग कर ले गया था। उक्त साक्षीगण का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त सभी साक्षीगण का कथन तुच्छ विसंगतियों को छोडकर तात्विक विरोधाभाषों से परे रहा है। प्रकरण में

आई साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि घटना दिनांक को आरोपित मोटरसाइकिल क् 0 एमपी 30 एमसी 2372 को आरोपी भागचंद चला रहा था जहां तक आरोपी द्वारा मोटरसाइकिल को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाने का प्रश्न है तो वहां यह उल्लेखनीय है कि साक्षी रामगोविन्द अ०सा०२ ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि आरोपी भागचंद मोटरसाइकिल को लहराकर चला रहा था एवं महेश अ०सा०४ ने भी अपने कथन में यह बताया है कि आरोपी भागचंद मोटरसाइकिल को तेजी व लापरवाही से चला रहा था। अतः प्रकरण में आई साक्ष्य से यह भी प्रमाणित है कि आरोपी मोटरसाइकिल को उपेक्षापूर्ण तरीके से चला रहा था एवं आरोपी ने आरोपित मोटरसाइकिल को उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाते हुए मृतक मनोज की मोटरसाइकिल में टक्कर मारकर वाहन दुर्घटना कारित की थी।

- 30. इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में साक्षी रामगोविन्द अ0सा02 एवं महेश अ0सा04 ने अपने कथन में आरोपी भागचंद द्वारा आरोपित मोटरसाइकिल को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाते हुये वाहन दुर्घटना कारित करना बताया है। उक्त साक्षीगण का यह कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान तुच्छ विंसगतियों को छोड़कर तात्विक विरोधाभाषों से परे रहा है। घटना की सूचना यथाशीघ्र थाने पर दी गई है। रमेश कुशवाह अ0सा08 ने प्र0पी01 की मर्ग इंटीमेशन को प्रमाणित किया है। आरोपित मोटरसाइकिल की मैकेनिकल जांच रिपार्ट प्र0पी05 में भी मोटरसाइकिल की टूट—फूट होना दर्शित है। आरोपी की ओर से उक्त तथ्यों के खण्डन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अभियोजन की अखंडित रही साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है।
- 31. फलतः उपरोक्त चरणों मे की गई विवेचना से अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 24.12.12 को 08:00 बजे ग्राम कठवा हाजी मोड के पास रोड पर लोकमार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन मोटरसाइकिल क0 एमपी 30 एमसी 2372 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाते हुए मृतक मनोज बघेल की मोटरसाइकिल से टक्कर मारकर मनोज को चोट पहुंचाकर उसकी आपरधिक मानववध की श्रेणी में न आने वाली मृत्यु कारित की। फलतः यह न्यायालय आरोपी भागचंद को भा0द0सं० की धारा 304ए के आरोप में दोषी पाती है।

विचारणीय प्रश्न कृ02

- 32. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में ए०एस०आई राजकुमार कोरकू आ०सा०10 द्वारा यह व्यक्त किया गया हैकि उसने दिनांक 27/12/12 को राजवीर से आरोपित मोटरसाइकिल क0 एमपी 30 एमसी 2372 का रिजस्ट्रेशन एवं बीमा जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र०पी०4 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि उसने आरोपी भागचंद से आरोपित मोटरसाइकिल जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र०पी०9 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के पद क0 4 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि राजवीर के द्वारा मोटरसाइकिल के जप्ती पत्रक में मोटरसाइकिल दस्तावेजों के साथ ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया गया था। उसने आरोपी भागचंद से मोटरसाइकिल जप्त नहीं की थी तथा यह भी स्वीकार किया है कि वह आरोपी भागचंद को नहीं जानता है एवं उसे नहीं पहचान सकता है।
- 33. इस प्रकार ए०एस०आई राजकुमार कोरकू अ०सा०१० ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि उसने आरोपी भागचंद से मोटरसाइकिल जप्त नहीं की थी तथा वह आरोपी को नहीं पहचान सकता है परंतु यहां यह उल्लेखनीय है कि ए०एस०आई० राजकुमार कोरकू अ०सा०१० घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है अतः उक्त साक्षी के द्वारा आरोपी की पहचान करना आवश्यक नहीं था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि यद्यपि उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि उसने आरोपी भागचंद से मोटरसाइकिल जप्त नहीं की थी परंतु यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त साक्षी ने अपने मुख्यपरीक्षण में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि उसने आरोपी भागचंद से मोटरसाइकिल जप्त कर प्र०पी०१ का जप्ती पंचनामा बनाया था जिसके ए से ए भाग

पर उसके हस्ताक्षर है। प्र0पी09 के जप्ती पंचनामे में भी आरोपी भागचंद से मोटरसाइकिल क0 एमपी 30 एमसी 2372 जप्त होने का उल्लेख है ऐसी स्थिति में ए०एस0आई० राजकुमार कोरकू अ0सा010 द्वारा प्रतिपरीक्षण के दौरान किए गए उक्त कथन से अभियोजन घटना पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

ए०एस०आई० राजकुमार कोरकू अ०सा०१० द्वारा राजवीर से रजिस्ट्रेशन एवं बीमा जप्त कर 34. जप्ती पंचनामा प्र0पी04 बनाना बताया है एवं प्र0पी04 के जप्ती पंचनामे के अवलोकन से यह दर्शित है कि जो बीमा जप्त किया गया था वह दिनांक 12.02.10 तक वैध था एवं प्रस्तुत प्रकरण की घटना दिनांक 24.12.12 की है तथा आरोपी की ओर से घटना दिनांक का बीमा अभिलखे पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। ए०एस०आई० राजकुमार कोरकू अ0सा010 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी स्वीकार किया है कि राजवीर ने मोटरसाइकिल के दस्तावेजों के साथ ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया था। अतः ए०एस०आई० राजकुमार कोरकू अ०सा१० के कथन एवं जप्ती पंचनामा प्र०पी०४ तथा प्र०पी०९ के अवलोकन से यह दर्शित है कि आरोपी के पास घटना दिनांक को आरापित मोटरसाइकिल का बीमा एवं ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। इस प्रकार अभियोजन द्वारा उक्त बिन्दू पर जो साक्ष्य प्रस्तृत की गई है उससे यह प्रमाणित हैकि घटना के समय आरोपी भागचंद के पास वाहन चलाने की अनुज्ञप्ति नहीं थी एवं आरोपित मोटरसाइकिल का बीमा नहीं था। अब यह साबित करने का भार आरोपी पर था कि वह यह साबित करता कि घटना वाले दिन उसके पास वाहन चलाने की अनुज्ञप्ति थी एवं आरोपित मोटरसाइकिल का बीमा था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अंतर्गत उक्त तथ्य को साबित करने का भार आरोपी पर ही था परन्तु आरोपी भागचंद द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य प्रकरण में प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह दर्शित होता हो कि घटना वाले दिन आरोपी भागचंद के पास ड्रायविग लाईसेंस था एवं आरोपित मोटरसाइकिल का बीमा था। अतः उपरोक्त बिन्दु पर अभियोजन द्वारा प्रस्तुत की गई साक्ष्य से संदेह से परे यह भी प्रमाणित हैकि घटना दिनांक को आरोपी भागचंद के पास वाहन चलाने का ड्रायविंग लाईसेंस नहीं था एवं आरोपित मोटरसाइकिल का बीमा नहीं था एवं आरोपी भागचंद ने बिना बीमा के एवं बिना ड्रायविंग लाईसेंस के आरोपित मोटरसाइकिल को चलाया था। फलतः यह न्यायालय आरोपी भागचंद को मोटरयान अधिनियम की धारा <u>3 / 1</u>81 एवं 146 <u>/</u> 196 के अंतर्गत दोषी पाती है।

35. समग्र अवलोकन से अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपी भागचंद ने दिनांक 24.12.12 को समय 8:00 बजे ग्राम कठवा हाजी मोड के पास रोड पर लोकमार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन मोटरसाइकिल क. एम—पी 30 एम—सी 2372 को बिना बीमा एवं ड्राइविंग लाइसेंस के उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाते हुए मृतक मनोज बघेल को टक्कर मारकर उसकी आपराधिक मानववध की श्रेणी में न आने वाली मृत्यु कारित करने की। फलतः यह न्यायालय आरोपी भागचंद को भा0द0सं० की धारा 3/181 एवं 146/196 के अंतर्गत सिद्धदोष पाते हुये दोषसिद्ध करती है।

36. सजा के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय लिखाया जाना अस्थाई रूप से स्थगित किया जाता है।

> (प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

पुनश्च–

37. आरोपी एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को सजा के प्रश्न पर सुना गया आरोपी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया कि आरोपी का यह प्रथम अपराध है। आरोपी ने नियमित रूप से विचारण का सामना किया है। अतः आरोपी को परिवीक्षा का लाभ दिया जावे।

38. आरोपी के अधिवक्ता के तर्क पर विचार किया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि अभियोजन द्वारा आरोपी के विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है एवं आरोपी द्वारा नियमित रूप से विचारण का सामान किया गया है परन्तु आरोपी व्यस्क व्यक्ति है तथा सुसंगत समय पर अपने कृत्य के परिणामों को समझने मे पूर्णतः सक्षम था। आरोपी भागचंद द्वारा जिस उपेक्षापूर्ण तरीके से मोटरसाइकिल चलाते हुये वाहन दुर्घटना कारित की गई है। उन परिस्थितियों में आरोपी को कठोर दण्ड से दंडित किया जाना आवश्यक है। फलतः यह न्यायालय आरोपी भागचंद को भा0द0संठ की धारा 304ए के अंतर्गत 2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000/—रूपये के अर्थदंड तथा अर्थदंड की राशि में व्यतिक्रम होने पर दो माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181 के अंतर्गत 500/—रूपये के अर्थदंड एवं अर्थदंड की राशि में व्यतिक्रम होने पर 15 दिवस के साधारण कारावास तथा मोटरयान अधिनियम की धारा 146/196 के अंतर्गत 500/—रूपये के अर्थदंड तथा अर्थदंड की राशि में व्यतिक्रम होने पर 15 दिवस के साधारण कारावास के दण्ड से दंडित करती है।

39. आरोपी पूर्व से जमानत पर है उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते है।

40. प्रकरण में जप्तशुदा मोटरसाइकिल क0 एमपी—30—एमसी—2372 पूर्व से उसके पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी पर है। अतः उसके संबंध में सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् निरस्त समझा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्दशों का पालन किया जावे।

41. आरोपी जितनी अवधि के लिये न्यायिक निरोध में रहा है उसके संबंध में धारा 428 के अंतर्गत ज्ञापन तैयार किया जावे। आरोपी द्वारा न्यायिक निरोध में बिताई गई अवधि उनकी सारवान सजा में समायोजित की जावे। आरोपी इस प्रकरण में न्यायिक निरोध में नहीं रहा है।

तदानुसार सजा वारण्ट बनाया जावे।

स्थान – गोहद दिनांक – 14.12.17 निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही / —
(प्रतिष्ठा अवस्थी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म०प्र०)

सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड(म०प्र०)